

## कार्यालय कलेक्टर(ई-गवर्नेन्स सोसायटी)

कलेक्टर परिसर पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

e-mail – degmpanna@gmail.com

क्रमांक / 493/ ई-गव./2016

पन्ना, दिनांक 23/11/16

### -: सीमित निविदा :-

जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक / तहसील (पन्ना, अजयगढ़, गुनौर, पवई, शाहनगर ) स्वान पॉप कक्ष में स्थापित UPS के सुचारू संचालन हेतु नवीन बैटरी क्रय किये जाने एवं खराब बैटरियों को उसी फर्म को Buy Back किया जाना है। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

Sr.	Item Description	Qty.
1	Amara Raja Quanta Make 12V, 26 AH SMF Batteries	20
2	Amara Raja Quanta Make 12V, 65 AH Batteries	32
Total		52
3	Less Buy – Back cost of old 12V, 26 AH Batteries	40
4	Less Buy – Back cost of old 12V, 65 AH Batteries	64
Total Buy – Back		104

उपरोक्तानुसार सामग्री क्रमांक 01 एवं 02 क्रय किये जाने एवं सामग्री क्रमांक 03 एवं 04 वापसी खरीद हेतु पंजीकृत एवं योग्य आपूर्तिकर्ताओं से मुहर बंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। सीमित निविदा सूचना एवं निविदा की नियम व शर्तें कार्यालय से एवं जिले की वेबसाइट [www.panna.nic.in](http://www.panna.nic.in) से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक पंजीकृत एवं योग्य आपूर्तिकर्ता जो सीमित निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार योग्यता रखते हैं वे दिनांक 30/11/16 को समय दोपहर 01:00 बजे तक मुहर बंद सीमित निविदा कार्यालय में जमा कर सकेंगे। निविदायें उसी दिन अपरहान्त 03:00 बजे खोली जायेगी। सामग्री का क्रय व वापसी खरीद निम्न नियम व सेवा शर्तों के अधीन की जावेगी।

नियम व शर्तें :-


1. निविदाएं सादे कागज पर स्याही से लिखा गया या टंकित किया गया आवेदन प्रारूप जिसमें निविदाकर्ता फर्म का नाम, संपूर्ण पता, दूरभाष, वैद्य एवं जीवित पंजीयन, सामग्री की कर सहित दर ( कर की दरें प्रथम से उल्लेखित की जावे ) एवं विनिर्देशन आदि का संपूर्ण विवरण दिया जावे। आवेदन प्रारूप मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से बैटरी हेतु सीमित निविदा लिखा जावे। टीप लिखे एवं सशर्त आवेदन अमान्य होंगे।
2. बैटरिया क्रय की जाने वाली चयनित आपूर्तिकर्ता / फर्म द्वारा ही अनिवार्यतः खराब बैटरियों की वापसी खरीद की जावेगी।
3. चयनित आपूर्तिकर्ता / फर्म द्वारा बैटरी 12V, 26 AH कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराई जावेगी एवं 12V, 65 AH की बैटरिया जिले के स्वान पॉप केन्द्र अजयगढ़, गुनौर, पवई, शाहनगर में उपलब्ध कराना होगी।
4. क्रय की गई नवीन बैटरियों के इन्सटॉलेशन के उपरान्त ही पुरानी बैटरिया आपूर्तिकर्ता / फर्म को उपलब्ध कराई जावेगी। कार्यालय द्वारा पुरानी बैटरी उपलब्धता का समय लगभग सात दिवस होगा।

## कार्यालय कलेक्टर(ई-गवर्नेन्स सोसायटी)

कलेक्टर परिसर पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

e-mail – degmpanna@gmail.com

5. क्रय की जाने वाली सामग्री एवं वापसी सामग्री की प्रथक – प्रथक दरें प्रति ईकाई के मान से प्रस्तुत की जाएं अन्यथा की दशा में कुटेशन मान्य नहीं होगा।
6. निविदा या तो कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा की जा सकती है या रजिस्टर्ड डाक द्वारा ' कलेक्टर एवं सचिव जिला ई- गवर्नेन्स सोसायटी जिला पन्ना ' के नाम भेजी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरान्त के प्राप्त आवेदन अमान्य होंगे।
7. निविदादाता फर्म का म.प्र. वाणिज्य कर विभाग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
8. खोलौ गई निविदाओं से सामग्री की उपयुक्तता, न्यूनतम दर, गुणवत्ता और विनिर्देशन (स्पेसिफिकेशन ) सुनिश्चित कर उपयुक्त आपूर्तिकर्ता का चयन किया जावेगा।
9. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्य आदेश प्राप्ति के दिनांक से सात दिवस की समयावधि में सामग्री कार्यालय को उपलब्ध कराना होगी। सामग्री कार्यालय में सुपुदर्गी संबंधी समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं वहन किये जावेगे।
10. चयनित निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई सामग्री भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने की दशा में क्रय की जावेगी।
11. स्वीकृत कार्य हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि आपूर्तिकर्ता को नहीं दी जावेगी।
12. निविदा मान्य / अमान्य किसी भी परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेन्स समिति को होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत -पन्ना (म.प्र.)

पन्ना, दिनांक 23/11/16

पृ.क्रमांक /494/ ई-गव./2016

प्रतिलिपी –

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला पन्ना की ओर जिले की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित
2. मेसर्स ..... की ओर प्रेषित।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत -पन्ना (म.प्र.)